अन्तर्विभागीय पत्र पीजीआई/अधि0/ आडिट–09–10/ 306 /10

सेवा में : डा0 उत्तम सिंह, एशोसिएट प्रोफेसर, बायोस्टैटिसटिक्स विभाग।
प्रेषक : वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (अधि0)
दिनांक : 26 जून, 2010
विषय : **समूह–क, ख, ग एवं घ की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि सम्बन्धी संलग्न प्रोफार्मा को समयसारणी विवरण के साथ संस्थान की वेबसाईट पर डालने हेतु ।**

समयबद्ध ढंग से संस्थान के अधिकारियो/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों को पूर्ण कर सम्बन्धित अधिष्ठानों को प्रेषित किये जाने को ध्यान में रखते हुए निदेशक महोदय द्वारा समूह–क, ख, ग एवं घ के अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्बन्धित वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि सम्बन्धी प्रोफार्मा को संस्थान की वेबसाईट में डालने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि समूह–क, ख, ग एवं घ के अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्बन्धित वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि सम्बन्धी संलग्न प्रोफार्मा को नीचे दिये गये समयसारणी सम्बन्धी विवरण के साथ संस्थान की वेबसाईट पर डालने का कष्ट करें जिससे कि सम्बन्धित विभागाध्यक्षों द्वारा समयबद्ध तरीके से वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि सम्बन्धित अधिष्ठानों को उपलब्ध कराई जा सके। आपसे यह भी अनुरोध है कि उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी को सूचित करने का कष्ट करें जिससे इस सम्बन्ध में समस्त विभागाध्यक्षों को परिपत्र के माध्यम से सूचित किया जा सके ।

समय सारणी सम्बन्धी विवरण:–

1– अराजपत्रित कर्मचारियों की वार्षिक प्रविष्टियाँ हर हालत में दिनांक 15 मई तक पूरी कर ली जाये। जिन मामलों में प्रविष्टियाँ लिखने के दो स्तर प्रतिवेदक एवं स्वीकर्ता/प्राधिकारी निर्धारित हों, उनमें प्रतिवेदक प्राधिकारी अपनी संस्तुति 30 अप्रैल तक अवश्य ही स्वीकर्ता प्राधिकारी को उपलब्ध करा दें, जो अपना मन्तव्य अंकित करते हुये प्रविष्टि को 15 मई तक पूरी करा देंगे।

2– ऐसे राजपत्रित अधिकारी जिनके प्रतिवेदक/समीक्षक तथा स्वीकर्ता प्राधिकारी विभागाध्यक्ष तथा उनसे निम्न स्तर के अधिकारी हैं उनके सम्बन्ध में वार्षिक प्रविष्टियाँ निश्चित रूप से दिनांक 31 मई तक पूरी कर ली जायेंगी।

3– ऐसे राजपत्रित अधिकारी जिनके समीक्षक स्वीकर्ता प्राधिकारी शासन स्तर के अधिकारी हैं। उनके सम्बन्ध में प्रविष्टि विभागाध्यक्ष द्वारा शासन को, शासन के प्रशासनिक अनुभाग में विलम्बतम् 15 मई तक भेजी जायेगी और सम्बन्धित प्रशासनिक अनुभाग इन प्रविष्टियों को 15 जून तक पूरी करा लेंगे ।

4– ऐसे राजपत्रित अधिकारी जिनके प्रतिवेदक/समीक्षक तथा स्वीकर्ता प्राधिकारी/शासन स्तर के अधिकारी है, उनके सम्बन्ध में वार्षिक प्रविष्टि प्रतिवेदक प्राधिकारी द्वारा दिनांक 15 मई तक, समीक्षक प्राधिकारी द्वारा 31 मई तक तथा स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा 15 जून तक अंकित की जायेगी। यदि किन्हीं मामलों में निर्धारित समय सारिणी के अनुसार प्रविष्टि को लिखे जाने में प्रतिवेदक प्राधिकारी द्वारा समीक्षक प्राधिकारी को प्रविष्टि उपलब्ध नहीं कराई जाती है और निर्धारित तिथि से 6 माह की अवधि गुजर जाती है तो ऐसे मामलों में समीक्षक अधिकारी को अपने स्तर से ही प्रविष्टि लिख देनी चाहिए ऐसी स्थिति में यदि बाद में यदि प्रतिवेदक प्राधिकारी से प्रविष्टि प्राप्त होती है तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी उदाहरणार्थ राजपत्रित अधिकारियों के सम्बन्ध में वर्ष 1985–86 की प्रविष्टि यदि 15 दिसम्बर, 1986 तक प्राप्त नहीं होती है तो समीक्षक अधिकारी उसे स्वंय लिख सकता है।

इसी प्रकार निर्धारित तिथि से एक वर्ष बाद स्वीकर्ता प्राधिकारी प्रविष्टि स्वयं लिख सकते हैं, यदि प्रतिवेदक/समीक्षक प्राधिकारी से संस्तुति उपलब्ध न हो। उदाहरणार्थ राजपत्रित अधिकारियों के सम्बन्ध में वर्ष 1985–86 की प्रविष्टि यदि स्वीकर्ता प्राधिकारी को 31 मई, 1987 तक प्राप्त नहीं होती है तो स्वीकर्ता प्राधिकारी स्वंय लिख सकते हैं।

जिन कार्मिकों के मामले में प्रविष्टि लिखे जाने में केवल दो ही स्तर हो, वहाँ प्रथम स्तर से प्रविष्टि के निर्धारित तिथि के 6 माह की अवधि गुजर जाने के बाद भी न प्राप्त होने पर दूसरे स्तर से अर्थात स्वीकर्ता अधिकारी के स्तर से प्रविष्टि लिखी जा सकती है।

यदि किसी ऐसे अधिकारी को जिसका यह कर्तव्य है कि वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रविष्टि दें, उपर्युक्त समय सारिणी के अनुसार प्रविष्टि नहीं देता है तो समय से प्रविष्टि न देने के लिये उसे सक्षम स्तर या शासन की ओर से प्रतिकूल प्रविष्टि भी दी जा सकती है ।

संलग्नक: समूह–क, ख, ग एवं घ अधिकारियों/कर्मचारियों
के वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि सम्बन्धी प्रोफार्मा

(भरत सिंह)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी